



Neutral Citation No - 2026:AHC:25227

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 2026 की 483

रविलास यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज इलाहाबाद एवं 31 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : हर्ष श्रीवास्तव, मनीष

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादीगण के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री हरि मोहन श्रीवास्तव एवं प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका, प्रतिवादी संख्या 1/राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को द्वितीय अपील संख्या 34/2003-04 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या AL2004142999182) (राम हरि बनाम नरेन्द्र नाथ), जिला गाजीपुर, को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 331(4) के अधीन विहित समयावधि के भीतर विनिर्णीत करने हेतु समादेशित करने वाली परमादेश रिट जारी करने की याचना करते हुए दाखिल की गई है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कथन है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229-B के अधीन कार्यवाही से उद्भूत उपर्युक्त द्वितीय अपील वर्ष 2003-04 से प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष लम्बित है। उन्होंने निवेदन किया कि द्वितीय अपील अन्तिम चरण में है, अतः राजस्व परिषद को उक्त द्वितीय अपील का विनिश्चय करने हेतु निर्देशित किया जाए। उन्होंने यह प्रदर्शित करने के लिए कि वाद शीघ्रतापूर्वक प्रगति नहीं कर रहा है, लम्बित कार्यवाही की आदेश पत्रक भी प्रस्तुत की।

4. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्रकरण के गुणागुण पर कोई मत व्यक्त किए बिना, यह याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त कार्यवाही को, सम्बन्धित प्राधिकारी के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिमानतः 2 माह की अवधि के भीतर, सम्बन्धित पक्षकारों को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, विधि के अनुसार, यथाशीघ्र तार्किक परिणति तक विनिर्णीत करें।

5 फरवरी, 2026

सी.प्रकाश

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"